

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश  
एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि

3/यो0-29/2017(खंड)

बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2019-20) २०

प्रेषक,

विजय रंजन,  
संयुक्त निदेशक (गु0)

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना

पटना, दिनांक - ०८-०५-२०१९

विषय:-

मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बाल संरक्षण सेवाओं के विभिन्न अवयवों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 2,640/- लाख (रु. छब्बीस करोड़ चालीस लाख), राज्यांश राशि रु. 627/- लाख (रु. छः करोड़ सताइस लाख) एवं राज्य स्कीम में रु. 627/- लाख (रु. छः करोड़ सताइस लाख) यानी कुल रु. 3,894.00/- (रु. अडतीस करोड़ चौरानवे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जाफांक सं0-5721 दिनांक-27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण एवं अनाथ, बेसहारा, दुःसाध्य रोगों से पीड़ित बच्चों तथा उन दुःसाध्य रोगों से पीड़ित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण हेतु मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का सिर्फ 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में बाल संरक्षण सेवाओं के विभिन्न अवयवों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 2,640/- लाख (रु. छब्बीस करोड़ चालीस लाख), राज्यांश राशि रु. 627/- लाख (रु. छः करोड़ सताइस लाख) एवं राज्य स्कीम में रु. 627/- लाख (रु. छः करोड़ सताइस लाख) यानी कुल रु. 3,894.00/- (रु. अडतीस करोड़ चौरानवे लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति विवेक प्रकार प्रदान की है।

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	PFMS Code	योजना उदव्य-	स्वीकृत राशि	
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि							
1	एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएं (आईसीपीएस)	0223-31-04	(51-2235021020223)	9227	8000.00	2640.00	
					योग:-1	2640.00	
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि							
2	एकीकृत बाल संरक्षण सेवाएं (आईसीपीएस)	0323-31-04	(51-2235021020323)	9227	1900.00	627.00	
					योग:-2	627.00	
राज्य स्कीम							
3	परवरिश	0116-31-06	(51-2235021020116)	-	1900.00	627.00	
					योग:-3	627.00	
कुल (योग 1+2+3):-					(रु. अडतीस करोड़ चौरानवे लाख)	11800.00	3894.00

2. स्वीकृत राशि में केन्द्रांश एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार सरकार के निदेशक, समाज कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

3. परवरिश योजना के अंतर्गत राशि में से 1 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय मद में किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 एवं समय समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
6. यह स्वीकृत्यादेश संशिका संख्या-3/यो0-29/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 28/टि0 पर दिनांक 03.04.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।
7. यह स्वीकृत्यादेश संशिका संख्या-3/यो0-29/2017(खंड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 28/टि0 पर दिनांक 03.04.2019 को माननीय विभागीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
8. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(विजय रजन)

संयुक्त निदेशक (मु०)